



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 711]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2014/फाल्गुन 29, 1935

No. 711]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2014/PHALGUNA 29, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 836(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तंभ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
242	154ए	पंजाब राज्य में चक्की, धार के निकट रारा-154 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बानीखेत, चंबा को जोड़ने वाला और हिमाचल प्रदेश राज्य में भरमौर पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

243	505	हिमाचल प्रदेश राज्य में ख़ाब संगम के निकट रारा-5 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर चांगो, सुमदो, ताबो, अट्टारगो, कजा, मोरंग, हांसे, लोसर, लाचू, छोटा धारा को जोड़ने वाला और ग्रामफू पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
244	503 विस्तार	हिमाचल प्रदेश राज्य में मुबारकपुर के निकट रारा-3 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर आंब, ऊना, देहलान को जोड़ने वाला तथा पंजाब राज्य में आनंदपुर साहिब, किरतपुर को जोड़ते हुए और नया रारा-205 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-7)]

माया प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पण :—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 364 (अ) तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था ।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

**S.O. 836(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

**TABLE**

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
242	154A	The highway starting from its junction with NH-154 near Chakki, Dhar in the State of Punjab connecting Banikhet, Chamba and terminating at Bharmour in the State of Himachal Pradesh
243	505	The highway starting from its junction with NH-5 near Khab Sangam connecting Chango, Sumdo, Tabo, Attargo, Kaza, Morang, Hanse, Losar, Lachu, Chhota Dhara and terminating at Gramphoo in the State of Himachal Pradesh.
244	503 Extn	The highway starting from its junction with NH-3 near Mubarakpur connecting Amb, Una, Dehlan in the State of Himachal Pradesh, Anandpur Sahib, Kiratpur and terminating at its junction with new NH No. 205 in the State of Punjab.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-7)]

Maya Prakash, Dy. Secy.

**Foot Note** :—The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 364(E), dated 10th February, 2014.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 837(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 7 तथा 10 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

#### तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
7	3	पंजाब राज्य में अटारी (भारत/पाक सीमा), अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, हिमाचल प्रदेश में नदुआन, हमीरपुर, टोनी देवी, आवा देवी, मंडी, कुल्लू, मनाली, ग्रामफू, कीयलांग को जोड़ते हुए और जम्मू और कश्मीर राज्य में लेह पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
10	503	हिमाचल प्रदेश राज्य में मुबारकपुर के निकट रारा-3 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर डेरा गोपीपुर, रानीताल, कांगडा, मातौर, धर्मशाला को जोड़ते हुए मैकलिओडगंज पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-7)]

माया प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पण :-राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 364(अ) तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था ।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

**S.O. 837(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely :—

In the Schedule, for serial numbers 7 and 10, and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

**TABLE**

(1)	(2)	(3)
“7	3	The highway connecting Atari (India/Pakistan Border), Amritsar, Jalandhar, Hoshiapur in the State of Punjab, Naduan, Hamirpur, Toni Devi, Awa Devi, Mandi, Kullu, Manali, Gramphoo, Kyelong in the State of Himachal Pradesh and terminating at Leh in the State of Jammu and Kashmir.
10	503	The highway starting from its junction with NH-3 at Mubarakpur connecting Dera Gopipur, Ranital, Kangra, Mataur, Dharamshala and terminating at Macleodganj in the State of Himachal Pradesh.”

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-7)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

**Foot Note :—**The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 364(E), dated 10th February, 2014.